हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
मंगलवार, 24 नवम्बर 2015, लखनऊ, पांच प्रदेश, 18 संस्करण, नगर संस्करण
www.livehindustan.com

एकेटीयू के रजिस्ट्रार सस्पेंड

लखनऊ | विशेष संवाददाता

राज्य सरकार और राजभवन के बीच अब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के रजिस्ट्रार यू.एस. तोमर को राज्यपाल ने निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने विभिन्न आरोपों में निलंबित चल रहे रजिस्ट्रार यूएस तोमर को बहाल कर दिया था। राज्यपाल द्वारा दोबारा सस्पेंड करने पर राजभवन और सरकार के बीच फिर ठन गई।

खास बात यह है कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार को उस समय बहाल किया था,

गवर्नर ने की कार्रवाई

- यूएस तोमर को राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले किया था बहाल
- जांच पूरी होने तक फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर से रहेंगे संबद्ध

जब राज्यपाल ने रजिस्ट्रार के आरोपों की जांच के लिए अंतिम जांच कमेटी का गठन किया था। सोमवार को राज्यपाल व कुलाधिपति राम नाईक ने विश्वविद्यालय के नियम 2.04 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तोमर को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक तोमर विश्वविद्यालय की फैकल्टी आफ आर्किटेक्चर से संबद्ध रहेंगे।

विश्वविद्यालय के नियम 2.03 एवं 2.04 के तहत रजिस्ट्रार के विरुद्ध जांच बैठाने व उन्हें निलंबित करने का अधिकार कुलाधिपति को है। खास बात यह है कि प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक ने कुलाधिपति राम नाईक को पत्र लिख कर कहा था कि जांच के दौरान रजिस्ट्रार तोमर से इस पद का काम लेना विवि हित में नहीं है।

> तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी पेज 14

तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी

लखनऊ। जांच कमेटी निलंबित किए गए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार यू.एस. तोमर के खिलाफ वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी। जांच के दायरे में तोमर की रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति का मामला भी शामिल है।

तोमर पर आरोप हैं कि उन्होंने संबद्धता की अंतिम तिथि 15 मई के बाद 44 कालेजों को जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध संबद्धता प्रदान की। राज्यपाल ने तोमर के विरुद्ध गठित जांच कमेटी का अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति एसके त्रिपाठी को बनाया है जबकि सदस्य डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रो. गुरदीप सिंह बाहरी और रिटायर आईएएस अधिकारी सर्वेश चंद्र मिश्रा शामिल हैं। जांच कमेटी को दो माह के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट राज्यपाल को देनी है। **विसं**